भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 204

जिसका उत्तर सोमवार 24 जून, 2019 को दिया जाना है

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन

204. श्री टी.के. रंगराजन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कुल संख्या का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) "फास्टर अडोप्शन एंड मेनुफेक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएएमई) के अन्तर्गत अभी तक प्रदान की गई प्रोत्साहन राशि कितनी है तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे देश में ईवी विनिर्माताओं की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (ग): चूंकि ऑटोमोबाइल एक उदारीकृत क्षेत्र है और इस क्षेत्र में स्वतः पद्धति के द्वारा 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है, भारी उद्योग विभाग ईवी सहित वाहनों के विनिर्माण से संबंधित आँकड़े रखने के लिए अधिदेशित नहीं है। तथापि, भारी उद्योग विभाग दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना का प्रबंधन कर रहा है। इस योजना के माध्यम से एक्सईवी के खरीददार को एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा खरीद मूल्य में अपफ्रंट छूट दी जाती है।

फेम इंडिया योजना के चरण-I जो कि दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध था, के तहत सरकार ने लगभग ₹343 करोड़ के प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 2,78,838 एक्सईवी वाहनों की सहायता की। फेम इंडिया योजना के तहत कुल 35 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड विनिर्माताओं ने पंजीकरण किया।

फेम इंडिया योजना के चरण-I के पूर्ण होने के बाद, दिनांक 08 मार्च, 2019 को योजना के चरण-II को अधिसूचित किया गया है जो दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए है। अब तक, फेम इंडिया योजना के चरण-II में 07 ओईएम ने अपना पंजीकरण कराया है।

*****